प्रेस विज्ञप्ति

01.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर जोनल कार्यालय ने **जल जीवन मिशन** मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 29.02.2024 को पीयूष जैन को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय, जयपुर ने आरोपी पीयूष जैन को 04 दिन की ईडी हिरासत में भेजा है।

ईडी ने एसीबी, जयपुर द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें कहा गया था कि पदमचंद जैन (मालिक: मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी), महेश मित्तल (मालिक मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी), पीयूष जैन और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) से प्राप्त विभिन्न निविदाओं के संबंध में लोक सेवकों से अवैध सुरक्षा प्राप्त करने, निविदाएं प्राप्त करने, बिल स्वीकृत कराने और उनके द्वारा निष्पादित कार्यों में की गई अनियमितताओं को ढँकने के लिए रिश्वत देने में शामिल थे। संदिग्ध हरियाणा से चोरी किए गए सामान की खरीद अपनी निविदाओं/अनुबंधों में उपयोग करने में भी शामिल थे और इन्होंने पीएचईडी से अनुबंध प्राप्त करने के लिए इरकॉन के फर्जी कार्य समापन पत्र भी जमा किए थे।

ईडी की जांच से पता चला कि उपरोक्त ठेकेदार यानी पदमचंद जैनं एवं महेश मित्तल मेसर्स इरकॉन द्वारा जारी कथित फर्जी कार्य समापन प्रमाण पत्र के आधार पर और पीएचईडी के वरिष्ठ अधिकारियों को रिश्वत देकर जेजेएम कार्यों से संबंधित निविदाएं हासिल करने में शामिल थे। कई बिचौलियों और प्रॉपर्टी डीलरों ने जेजेएम घोटाले से अवैध रूप से अर्जित धन को निकालने में पीएचईडी अधिकारियों की सहायता की है।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि पीयूष जैन आरोपी कंपनियों के मामलों का प्रबंधन कर रहे थे और उन्हें 3.5 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि भी प्राप्त हुई थी, जो कुछ और नहीं बल्कि अपराध से उत्पन्न आय थी। उसके मोबाइल के सीडीआर विश्लेषण से आगे पता चला कि वह पीएचईडी के अधिकारियों को भी प्रभावित कर रहा था। उपरोक्त के अलावा, अपराध की आय के लाभार्थी के बारे में पूछताछ करने के लिए आरोपी को कई समन भी जारी किए गए थे लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुआ।

इससे पहले, ईडी ने 70 से अधिक परिसरों में तलाशी ली थी, जिसमें अब तक. 11.03 करोड़ रुपये रुपये जब्त किए गए, जिसमें 6.50 करोड़ रु का सोना/चांदी शामिल है।

आगे की जांच जारी है।